आम सूचना हर आम एवं खास को सूचित किया जाता है कि मेरा मुवक्किल श्री गुलाब चंद गुप्ता पुत्र श्री मिथन लाल गुप्ता जिनका की एक कि सम्पत्ति प्लॉट नंबर 79-D, स्थित रणजीत नगर, भरतपुर, जिला भरतपुर, राजस्थान-321001 के संबंध में शहरी सुधार न्यास, भरतपुर द्वारा विभिन्न दस्तावेज जारी किए गए थे। सबसे पहले दिनांक 06.04.1966 को श्री गुलाब चंद गुप्ता के पक्ष में एक लाइसेंस जारी किया गया। इसके पश्चात् दिनांक 19.02.1996 को प्रमाण पत्र संख्या 8388 जारी किया गया। इसी क्रम में पट्टा विलेख भी शहरी सुधार न्यास, भरतपुर द्वारा दिनांक 19.02.1996 को श्री गुलाब चंद गुप्ता के पक्ष में जारी किया गया। जिसे उप-पंजीयक, भरतपुर कार्यालय में दिनांक 20.02.1996 को विधिवत पंजीकृत किया गया। इस सम्पत्ति से संबंधित दस्तावेजों पर किसी प्रकार का न्यायालय चिन्ह (प्रदर्श चिन्ह) अंकित है और वर्तमान में इस सम्पत्ति को लेकर किसी भी न्यायालय में कोई वाद लंबित नहीं है। तथा चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड से ऋण ले रही है तथा यदि किसी भी व्यक्ति, बैंक व वित्तीय संस्था को कोई भी आपत्ति हो तो 07 दिन के अन्दर-अन्दर मय दस्तावेज अधोहस्ताक्षरकर्ता से नीचे लिखे पते पर सम्पर्क करें अन्यथा बाद गुजरने याद कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी व सो सूचित रहें।

मुकुंद पंचारिया (एडवोकेट)
पता- 711, सातवीं मंजिल, एलीमेंट्स मॉल, डीसीएम, अजमेर रोड़, जयपुर
दिनांक 18.03.2025 मो. 7793033590, 9829290229

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी स्थान हिंडौन
सुरेश विरुद्ध श्री लाल वाद बाबत दावा
वाद सं. 1212 सन 2024 बनाम

1.श्रीलाल पुत्र रामचरण जाति जाटव निवासी. राजापुरा तह.- हिण्डौन सिटी। 2. मथुरी पत्नी मूली जाति जाटव 3. विश्राम पुत्र मवासी जाति.जाटव 4.चतर सिंह पुत्र मवासी जाति.जाटव 5.कन्हैया लाल पुत्र मवासी जाति. जाटव 6.बबलेश पुत्र अटल सिंह जाति.जाटव 7. केशंती पत्नी मवासी जाति.जाटव 8.राजेंद्र पुत्र रामचरण जाति जाटव 9. रामरति पुत्री मूली जाति जाटव 10. मुंशी पुत्र लक्खी जाति गुर्जर 11. वीर सिंह पुत्र राम चरण जाति जाटव 12. शीशराम पुत्र नंदकिशोर जाति जाटव 13 शकुंता पुत्री मूली जाति जाटव 14. हरि मोहन पुत्र मूली जाति जाटव 15. चंदन पुत्र भूधर जाति गुर्जर 16. ज्ञान सिंह पुत्र तीतरीय जाति गुर्जर 17. मलके पुत्र कलुआ जाति गुर्जर 18. प्रहलाद पुत्र संपत जाति जाटव 19 रविंद्र पुत्र हुकम सिंह जाति गुर्जर सभी निवासी-राजापुरा तह. हिंडौन सिटी जिला करौली।

वादी ने आपके विरुद्ध दावा के लिये वाद पंजीयत किया है। आपका इस न्यायालय में तारीख 24 माह 3 सन 2025 को दिन में 10:00 बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक् अनुदेश दिए गये हों और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सकें। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में हैं पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल/सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो बाद की सुनबाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। यह वाद तारिख 7 माह 3 सन 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय मुद्रा लगाकर दिया गया।

(मुहर) आज्ञा से-रीडर, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिंडौन जिला-करौली (राज.)

47 ग्राम पंचायत टीबी मुक्त

गंगापुर सिटी । भारत सरकार के निर्देशानुसार ग्राम पंचायतों को क्षय रोग (टीबी) से मुक्त बनाने के उद्देश्य से पूरे देश में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान संचालित किया जा रहा है। जिले वासियों के सहयोग व सामूहिक प्रयासों से सवाई माधोपुर की 47 ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त घोषित की जा चुकी हैं। ये 47 ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त होने के 6 मानदंडों पर खरी उतरी है।

आम सूचना
मैं कि मंजू देवी पत्नि स्व० श्री पूरनलाल उम्र 45 वर्ष राधा नगर, भरतपुर(राज.) की हूँ। मैं शपथपूर्वक बयान करती हूँ कि मेरा बड़ा पुत्र मोहित उम्र 23 वर्ष जिसकी शादी रचना पुत्री शिवलाल निवासी बाजौली, बयाना के साथ हुई थी शादी के बाद से ही मेरी पुत्रवधु का व्यवहार मेरे साथ अत्यंत क्रूरतापूर्ण है तथा वह मुझे व मेरे परिवार को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देती है तथा आत्महत्या कर पूरे परिवार को भी फंसा देने की धमकी देती है तथा मेरा पुत्र गलत संगत में पड़ गया है जिसके कारण मैं अपने पुत्र व पुत्रवधु के व्यवहार से अत्यंत दुखी हूँ जिसके कारण मैं उसे अपनी समस्त चल अचल सम्पत्ति से बेदखल करती हूँ तथा भविष्य में अपने पुत्र व पुत्रवधु से कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं होगा तथा उनके द्वारा किये गये किसी भी कृत्य की मेरे व मेरे परिवारीजनों की जिम्मेदारी नहीं होगी।

इश्तिहार नीलाम
अज अदालत अपर जिला न्यायालय सं. 1 मुकाम गंगापुर सिटी
राजेन्द्र कुमार बनाम गिर्राज प्रसाद
डिगरी बाबत्
मुकदमा नं. 43 सन् 2016

बजरिये हाजा नोटिस दिया जाता है कि हस्व आर्डर 21, रूल 23 मुकदमे दीवानी नं. 16 सन् 2004 में डिग्रीदार के मताबे अदायगी के लिए जो कि मय खर्चा व सूद मुबलिग 3,75,618/- रुपये अक्षरे तीन लाख पचहत्तर हजार छः सौ अठारह होता है। इस अदालत ने जायदाद मकरूका जो फहरिस्त मुनसलका में दर्ज है बेचे जाने का हुक्म दिया है। बेचान बजरिये आम नीलाम के होगा और एक बोली में कौन-कौन जायदाद शामिल होगी यह फहरिस्त में दिखाया गया है। बेचान मदयूनान की जायदाद का होगा कि जिनका नाम ऊपर दर्ज है व जिसका नाम फहरिस्त में हर एक सामने दर्ज है।
अगर कोई हुक्म मुतल्बी का नहीं हुआ तो नीलाम तारीख 09.04.2025 व मुकाम ADJ Court संख्या 1 GGC 10 बजे दिन के शुरू होगा लेकिन अगर रकम मतलूबा मुन्दर्जाबाला मय खर्चा नीलाम के किसी लाट के (Lot) की बोली खत्म करने के पहले अदा कर दी जायेगी तो नीलाम बन्द कर दिया जायेगा।

दीगर शरायत नीलाम जैल है-
1. फहरिस्ता मुनसलका में जो अमूरात दर्ज है वह अदालत को जहां तक हाल मालूम हुआ है उस मुताबिक है लेकिन अगर इश्तिहार में कोई गलत बात हो या कोई रह गई हो तो अदालत उस गलती या चूक की जिम्मेदार नहीं है।
2. बोली कितने कितने से बढ़ाई जायेगी, यह अफसर नीलाम कुनिन्दा तय करेगा। अगर बोली की तादाद या बोली देने वाले शख्स के बाबत कुछ झगड़ा पैदा हो तो बोली फिर से दी जावेगी।
3. सबसे ऊंची बोली देने वाला खरीददार करार दिया जायेगा बशर्ते कि वह बोली देने का हक रखता हो और बशर्ते अदालत या अफसर नीलाम कुनिन्दा को अख्तियार होगा कि अगर आखिरी बोली साफ तौर पर इस कदर कम जावे यह मुनासिब हो तो आखिरी बोली को मंजूर नहीं करे।
4. ऐसी वजूहात से जो दर्ज की जावे अफसर नीलाम कुनिन्दा को अख्तियार होगा कि हस्व शरायत रूल 69 आर्डर 21 जा. दी. नीलाम की इत्तला कर देवे।
5. मनकूला जायदाद की हालत में कीमत नीलाम उसी वक्त या जितनी मोहलत अफसर नीलाम कुनिन्दा देवे उसके अन्दर अदा की जानी लाजमी बसूरत अदम अदायगी जायदाद उसी वक्त फिर नीलाम की जायेगी।
6. गैर मनकूला जायदाद की हालत में जो शख्स खरीददार करार दिया जावेगा वह ऐसा करार दिये जाने के बाद फौरन ही चौथाई कीमत अफसर नीलाम कुनिन्दा के पास जमा करायेगा और बसूरत अदम अदायगी जायदाद उस वक्त फिर नीलाम की जायेगी।
7. खरीददार के लिये चुकती कीमत नीलाम के बाद पन्द्रहवें दिन अदालत बन्द होने के पहले अदा करना लाजिम है अगर पन्द्रहवें दिन तालीम हो तो तैतालीस के बाद जिस दिन अदालत ले वह दिन समझना चाहिए।
8. अगर कीमत बेचान की बकाया रकम मंयान मुकर्परा में अदा न की गई तो जायदाद फिर हाजा इश्तिहार निकाला जाकर नीलाम की जावेगी और जो पेशगी जमा होगी वह बाद वसूली खर्चा नीलाम के अगर अदालत मुनासिब समझेगी वो सरनार में जब्त की जावेगी और बाकीदार खरीददार को जायदाद पर या उसकी कीमत के किसी हिस्से पर कोई हक नहीं होगा। बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 19 मार्च 2025 को जारी किया गया। आज्ञा से - रीडर
अपर जिला न्यापालय सं. 1.
गंगापुर सिटी, जिला- सवाई माधोपुर (राज.)

जनसुनवाई में मौके पर ही किया विभिन्न समस्याओं का निस्तारण

भरतपुर । आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए गुरूवार को जिला स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन हुआ। इस दौरान मुख्य सचिव सुधांश पंत भी वीसी के माध्यम से जिला स्तरीय जनसुनवाई में जुडे। उन्होंने सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों का समयसीमा में निस्तारण करते हुये परिवादियों को राहत प्रदान करने हेतु निर्देशित किया। साथ ही केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में पात्र व्यक्तियों को शत-प्रतिशत लाभान्वित करने के निर्देश दिए। केन्द्र द्वारा प्रस्तावित जल शक्ति अभियान की अभी से तैयारियां शुरू करने एवं जल संरक्षण के उपायों से आमजन में जागरूकता लाने की बात कही।

जनसुनवाई के दौरान जिला कलक्टर डॉ. अमित यादव ने राजीव गांधी भारत निर्माण सेवा केन्द्र में आयोजित जिला स्तरीय जनसुनवाई में

■ **वाजिब समस्या होने पर अधिकारीगण तुरंत उसका समाधान करें**

आमजन की परिवेदनाएं सुनी और संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्रकरणों का तुरंत समाधान कर राहत देने के निर्देश दिए। इसमें जन सुनवाई कर आमजन की समस्याओं का समाधान कर राहत दी गई। उन्होंने निर्देश दिए कि वाजिब समस्या होने पर अधिकारीगण तुरंत उसका समाधान करें। निस्तारण में किसी तरह की ढिलाई नहीं करें। जनसुनवाई में लगभग कुल 60 प्रकरण प्राप्त हुए, जिनके निस्ताण के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि बयाना गेट के निकट स्थित कॉलोनी में बकाया बिल का भुगतान करने वालों को जल कनेक्शन उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने पेयजल योजना चंबल से रामनगर गांव की मुख्य पाइप लाइन में अवैध कनेक्शन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। रूपवास तहसील की सैदपुरा गांव में जलापूर्ति करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आगामी ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए गाँवों में पेयजल समस्या का निस्तारण करते हुए नियमित मॉनिटरिंग करें।

उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी को निर्देश दिए कि गोलपुरा में बरसात के दौरान जल भराव समस्या के निस्तारण के लिए मौके पर जायजा कर कार्ययोजना बनायें। जिला कलेक्टर ने उपखंड अधिकारी बयाना को महरावर में सरकारी स्कूल के खेल मैदान के लिए आवश्यक भूमि आवंटन हेतु प्रस्ताव भिजवाने और चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटवाने के निर्देश दिए। उन्होंने नगर निगम आयुक्त को भगतसिंह चौराहे के निकट स्थित डेयरी बूथ द्वारा किये जा रहे अतिक्रमण को शीघ्र हटवाने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारी को निर्देश दिए लम्बित कृषि कनेक्शन प्रकरणों को शीघ्र निस्तारित करें।

जन सुनवाई के दौरान प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करवाने, विद्युत कनेक्शन, सीमा ज्ञान, नामांतरण, रास्ते से अतिक्रमण हटाने, सहायता राशि स्वीकृत करवाने, पट्टा दिलाने, वेतन भुगतान, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राजस्व रेकॉर्ड में नाम शुद्धिकरण और खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ दिलाने संबंधी समस्याएं आमजन ने जिला कलक्टर को बताई। इनमें कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान कर दिया गया।

शोभायात्रा को लेकर बैठक संपन्न

भुसावर/भरतपुर । भुसावर कस्बे के हिंडौन सडक मार्ग स्थित जन-जन के आस्था के केंद्र प्राचीन कोठी वाले हनुमान जी मंदिर परिसर में मंगलवार देर सांय काल एक आम बैठक का आयोजन किया गया। इस आम बैठक में पेंशनर्स समाज शाखा भुसावर के अध्यक्ष महेश चंद्र जती, एडवोकेट धनेंद्र कुमार पाण्डेय, शीतला माता मंदिर के भगत गोविंदा प्रजापत, मां भगवती साउंड के संचालक विष्णु भगवान गुप्ता, ओम प्रकाश ठाम सेवक, समाजसेवी विष्णु सैन, पूर्व कृषि पर्यवेक्षक बृजमोहन सोनी, वैध वीरेंद्र कुमार पाण्डेय, राघवेन्द्र शर्मा एवं सनातन धर्म से जुडे लोगों ने भाग लिया।

कार्यालय प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय, करौली
क्रमांक:- 4973 दिनांक: 20.03.2025
खुली बोली आमंत्रण सूचना 02/2024-25
इस महाविद्यालय हेतु 1. स्टील फर्नीचर राशि लगभग 9.50 लाख रूपयें तक के क्रय के लिये राजस्थान में स्थित एवं उद्योग विभाग राजस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त लघु एवं सूक्ष्म उद्योग फर्मों से दिनांक 29.03.2025 को समय 01:00 PM तक खुली बोली द्वारा निविदाऐं आमंत्रित की जाती हैं। बोली से संबंधित अधिक जानकारी http://sppp.rajasthan.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है।
(डा. विश्राम लाल बैरवा)
UBN No.- ECD2425GSOB00411 प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय करौली

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
अनुज्ञप्ति प्राप्त कर्ता
विद्युत भवन, ज्योति नगर, जयपुर
वेब साइट:- www.energy.rajasthan.gov.in/jvvnl
सार्वजनिक सूचना
सूचित किया जाता है कि जयपुर विद्युत वितरण निगम, जयपुर (डिस्कॉम द्वारा भी निर्दिष्ट) ने रा.वि.वि.आयोग (टैरिफ विनिर्धारण हेतु निबन्धन व शर्तें) विनियम 2019 समयानुसार सशोधित के अन्तर्गत विव. 2023-24 की समग्रराजस्व आवश्यकता की ट्रूईंग-अप याचिका राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष दायर की है। समग्र राजस्व आवश्यकता की ट्रूईंग-अप के सत्यापन हेतु याचिका के मुख्य बिन्दु नीचे दिये गये हैं।
याचिका की प्रतियां निरीक्षण/अवलोकन के लिए और रू. 100/- के भुगतान पर विक्रय के लिए आयोग के कार्यालय और निम्नलिखित स्थानों पर उपलब्ध हैं :-
1. अनुज्ञप्तिधारी का मुख्यालय, विद्युत भवन जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर।
2. अधीक्षण अभियन्ता (प.व.स.) का जयपुर वृत कार्यालय (नोर्थ), जयपुर वृत कार्यालय (साउथ), जयपुर जिला वृत कार्यालय(नोर्थ), जयपुर जिला वृत कार्यालय(साउथ),जयपुर/कोटपुतली/दूदू/भिवाड़ी/डीग/गंगापुर सिटी/दौसा/कोटा/झालावाड़/अलवर/भरतपुर/सवाईमाधोपुर/बाँसां/बूंदी/टौंक/करौली/धौलपुर कार्यालय।
याचिका निगम की वेब साइट www.energy.rajasthan.gov.in/jvvnl और रा.वि.वि.आ. की वेब साइट www.rerc.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
टिप्पणीयां/सुझाव भेजने के इच्छुक व्यक्ति आरईआरसी (कार्य सम्पादन) विनियम 2005 के फार्म सं. 3 में शपथ पत्र सहित विस्तृत विवरण छः प्रतियों में इस प्रकार भेजें कि प्राप्ति अधिकारी, आरईआरसी, विनियामक भवन, सहकार मार्ग, जयपुर-302001 के पास 15.04.2025 तक या उससे पूर्व पहुंच जाए।
विव. 2023-24 की समग्रराजस्व आवश्यकता की ट्रूईंग-अप की याचिका का संक्षिप्त सारांश निम्न प्रकार है (याचिका संख्या 2284/2025):-
सारिणी : विव. 2023-24 की समग्रराजस्व आवश्यकता की ट्रू अप का सारांश (करोड़ रू.) (याचिका संख्या 2284/2025)

क्र. सं.	विवरण	जयपुर डिस्कॉम	
		स्वीकृत	ट्रू अप के लिये किया गया दावा
1	राजस्व		
2	ऊर्जा विक्रय	25064	27011
3	गैर टैरिफ और अन्य टैरिफ आय	250	1543
4	विद्युत परिवहन, प्रति सहायिकी और अतिरिक्त अधिभार से आय	4	4
5	ट्रेडिंग द्वारा ऊर्जा विक्रय	0	485
6	कुल राजस्व (अ)	25318	29042
7	व्यय		
8	ऊर्जा क्रय लागत	19089	21830
9	पवस व्यय		
9.1	कर्मचारी लागत	1452	901
9.2	प्रशासनिक व सामान्य व्यय	180	190
9.3	मरम्मत व संधारण व्यय	212	419
10	सेवान्त लाभ	406	744
11	ह्रास	882	1194
12	ब्याज व वित्त प्रभार	837	985
13	उपभोक्ता प्रतिभूति पर ब्याज	95	148
14	कार्यशील पूंजी पर ब्याज	213	2499
15	विनियामक संपत्तियों पर ब्याज	1918	
16	उदय ऋण पर ब्याज	520	520
17	अशोध्य लेनदारियों का अपलेखन, यदि कोई हो तो	0	199
18	बीमा व्यय	35	2
19	अन्य व्यय (पूर्व अवधि व्यय सहित)	0	689
20	कुल व्यय (ब)	25838	30320
21	अधिशेष/(घाटा)(स= अ-ब)	(520)	(1278)
22	राज्य सरकार से प्राप्त राजस्व सहायिकी (द)	504	238
23	फ्लैट दर उपभोक्ताओं को न बदलने के कारण की गई कटौती (ई)	20	(30)
24	वि.व. 2023-24 हेतु राजस्व अधिशेष/(अन्तर) (एफ = स+द+इ)	4	(1070)
25	विलम्ब शुल्क अधिभार (जी)	0	302
26	राजस्व अधिशेष/(अन्तर)(एच= एफ- जी)	4	(1373)

राज.संवाद/सी/24/13595 जेपीआर 2970 (2025) अधीक्षण अभियंता (रेगुलेशन)

नशा मुक्ति को लेकर बैठक सम्पन्न

करौली (निं.सं.) नशा मुक्ति को लेकर गॉव लांगरा में एक बैठक आयोजित कि गई। जिसकी अध्यक्षता अमृत मीणा लांगरा ने की बैठक के दौरान क्षेत्र में हो रही अवैध मादक पदार्थ कि तस्करी पर पूर्ण रोक लगाने की बात कही गई।

लांगरा बस स्टैंड के सामुदायिक भवन में नशा मुक्ति को लेकर सर्व समाज कि एक बैठक आयोजित हुई इस दौरान सभी वक्ताओं ने नशा मुक्ति के लिए सभी से मादक पदार्थ के सेवन से दूर रहने कि बात कही। क्षेत्र में बढ़ते मादक पदार्थ कि तस्करी जैसे अवैध शराब,और स्मैक के बढ़ते कारोबार पर नाराजगी जताते हुए सभी ने प्रशासन से इस पर रोक लगाने की बात कही।

बैठक में मुख्य अतिथि जिला प्रमुख करौली प्रतिनिधि के रूप में रक्षी लाल बैरवा, मण्डरायल प्रधान दारा सिंह,समाज सेवी जितेंद्र सिंह पिचानौत, लांगरा सरपंच रामजीलाल, पूर्व सरपंच रामजीलाल जाटव,सिर मोहर, पुन्या डायरेक्टर, तेजराम मीना, पूर्व डायरेटर भमर सिंह, राधे मेंबर, छोटेलाल सहित युवा साथी टीम अमृत लांगरा, बचन सिंह,राजेश सातलपुर, आशीष जंगम, राजेश जाटव, शिवराम मकनपुर, लोकेश लांगरा, सतीश दिनेश, हेमराज कंचनपुर, ऋषि, अतर कंचनपुर सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे।

मेला से पहले नहीं हटे अतिक्रमण

करौली । करौली जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना के दिए आदेश वे असर साबित हो रहे हैं वही नगर परिषद आयुक्त द्वारा अतिक्रमणकारियो को दिए गए नोटिस के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होने से कैलामाता के भक्तों को परेशानी का सामना करना पडेगा। उत्तर भारत के प्रमुख शक्तिपीठ तीर्थ स्थल आस्था धाम कैलादेवी में आगामी 27 मार्च से लक्खी जात चैत्र नवरात्र मेला शुरू होगा मेले से पूर्व जिला कलेक्टर ने कई बार संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर एवं मेला क्षेत्र का निरीक्षण कर यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं को समय रहते पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं वहीं जिला कलेक्टर ने नगर परिषद के आयुक्त को करौली जिला मुख्यालय स्थित मासलपुर चुंगी से गंगापुर मोड तिराहे तक हाईवे सडक किनारे फुटपाथ पर हो रहे अस्थाई अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए थे जिस पर नगर परिषद के आयुक्त ने सार्वजनिक नोटिस जारी करते हुए मासलपुर चुंगी से गंगापुर मोड तिराहे तक के दुकानदारों,भवनों एवं मकान मालिकों को पाबंद किया कि नोटिस के तीन दिवस में अपने-अपने अस्थाई अतिक्रमणों को स्वतः ही हटा ले अन्यथा परिषद के दस्ते द्वारा कार्यवाही कर हटाया जाएगा देखने लायक यह है कि नगर परिषद आयुक्त द्वारा गत 12 मार्च को सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया था जिसे आज 10 दिन हो चुके हैं लेकिन आज दिनांक तक हाइवे किनारे फुटपाथ पर हो रहे अतिक्रमण नहीं हटाए गए।

जिसके चलते आगामी दिनों में कैलामाता के आने वाले पद यात्रियों को भारी सुविधाओं का सामना करना पडेगा मासलपुर चुंगी नाका से लेकर स्टेडियम रोड, गुलाब बाग तिराहा, रोडवेज बस स्टैंड के सामने, विद्युत विभाग कार्यालय के हाथी घटा के बाहर सडक पर एवं कलेक्ट्रेट सर्किल,ट्रक यूनियन, तीन बड आदि स्थानों पर लोगों ने लकडी के तखत, तिरपाल व अन्य सामान रखकर कब्जा करते हुए अस्थाई दुकानें खोलली है इनमें कई स्थान तो ऐसे हैं जहां लंबी दूरी से पैदल चलकर आने वाला पदयात्री पेड़ कि छांव में कुछ देर विश्राम करता है लेकिन अतिक्रमणकारियों ने उसे स्थान पर भी कब्जा कर लिया जिससे पदयात्रियों को भारी परेशानी उठानी पडेगी।

फायरिंग करने वाला आरोपी गिरफ्तार

हिंडौन सिटी । वमनपुरा में नाली विवाद को लेकर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। सदर थाना पुलिस ने वमनपुरा निवासी विज्जो गुर्जर को हिरासत में लिया है। सदर थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा के अनुसार, घटना 15 मार्च को हुई थी।

■ **फरार अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश**

नाली के विवाद को लेकर हुए झगड़े में आरोपियों ने पिल्लू गुर्जर पर फायरिंग कर दी थी। इस हमले में पिल्लू गंभीर रूप से घायल हो गया था।पुलिस अधीक्षक बृजेश ज्योति उपाध्याय ने इस मामले में शामिल दो अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए इनाम घोषित किया है। गिरफ्तार आरोपी विज्जो के खिलाफ सदर थाने में पहले से ही दो अन्य मामले दर्ज हैं। इस कार्रवाई में एएसआई रजन लाल, हैड कॉन्स्टेबल ओमप्रकाश, भल्लू सिंह, प्रधान, हेमेंद्र और संजय सहित अन्य पुलिस कर्मी शामिल थे। थाना प्रभारी ने बताया कि फरार अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।

सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

श्री भजनलाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्री

राजस्थान सरकार का प्रयास
किसानों में हर्ष उल्लास

सरसों एवं चना की खरीद हेतु
पंजीयन - 1 अप्रैल, 2025 से शुरू
तुलाई - 10 अप्रैल, 2025 से शुरू

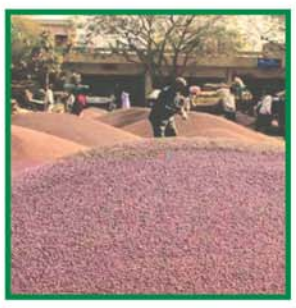

सरसों का समर्थन मूल्य प्रति क्वि.
₹5950
चना का समर्थन मूल्य प्रति क्वि.
₹5650

किसान को मिले उपज का पूरा दाम

समर्थन मूल्य पर गेहूँ की खरीद
10 मार्च, 2025 से शुरू

भारत सरकार द्वारा घोषित गेहूँ का समर्थन मूल्य प्रति क्वि. ₹2425 + राजस्थान सरकार द्वारा बोनस ₹150
कुल समर्थन मूल्य प्रति क्वि. ₹2575

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं उपज तुलाई की सुविधा

- किसान पंजीयन से पूर्व जनआधार कार्ड में प्रचलित बैंक खाता अवश्य अपडेट करें
- किसान पंजीयन के लिए जनआधार कार्ड, गिरदावरी (पी-35) ई-मित्र या खरीद केन्द्र पर लेकर जाएं
- जनआधार में प्रचलित मोबाइल नम्बर अपडेट कर आवश्यक जानकारी अपलोड करें
- रजिस्ट्रेशन होने पर किसान के पंजीकृत मोबाइल पर जिन्स की मात्रा एवं तुलाई दिनांक की एसएमएस द्वारा मिलेगी सूचना
- किसान निर्धारित दिनांक को खरीद केन्द्र पर जाएं और अपनी उपज की तुलाई करवाएं
- उपज की राशि किसान के जन-आधार कार्ड में अंकित बैंक खाते में होगी ऑनलाइन जमा

राजस्थान संवाद

2025 International Year of Cooperatives
Cooperatives Build a Better World

अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नम्बर : 1800 180 6001

सहकारिता विभाग, राजस्थान